छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

–:: आदेश ::–

नया रायपुर, दिनांक 06.04.2017

क्रमांक एफ 01–25/31/स्था./2009 :: राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर के माध्यम से चयन किये गये **निम्नलिखित सहायक अभियंता (वि./यां.)** को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से **02 वर्ष की परीवीक्षा अवधि** पर छत्तीसगढ़ जल संसाधन अभियांत्रिकी तथा भौमिकी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2014 के तहत सहायक अभियंता (सि.) द्वितीय श्रेणी के पद पर **वेतनमान रूपये 15600–39100/– + ग्रेड वेतन रूपये 5400/–** एवं समय–समय पर स्वीकृत भत्तों पर नियुक्त किया जाकर अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है:–

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पता	पदस्थापना स्थान	रिमार्क
01	02	03	04
1	श्री प्रशांशु मित्र वर्मा, सहायक अभियंता (वि/यां.) एल.आई.जी. 02/25/329 नेहरू नगर, रीवा (म.प्र.)	कार्यालय मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग, रायपुर	
2	श्री शुभम मिश्रा, सहायक अभियंता (वि./यां.) ब्लाक न. 522/बी, सडक न. 4, स्मृति नगर, भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.)	कार्यालय अधीक्षण अभियंता, वि./यां. मंडल, रायपुर	
3	श्री केशव स्वर्णकार, सहायक अभियंता (वि./यां.) इंदिरा नगर, लैलूंगा, जिला– रायगढ़ (छ. ग.)	कार्यालय कार्यपालन अभियंता, वि./यां. भारी संयत्र संभाग, रायपुर	
4	सुश्री मोनिका सार्वा, सहायक अभियंता (वि./यां.) क्वां नं. 8/बी, सड़क–32, से.–4, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.)	कार्यालय कार्यपालन अभियंता, वि./यां. भारी संयत्र संभाग, रायपुर	
5	श्री दिलेश्वर, सहायक अभियंता (वि./यां.) क्वा.नं. 1 डी स्टीट–35, से.–7, भिलाई नगर, जिला दुर्ग (छग)	कार्यालय कार्यपालन अभियंता, वि./यां. भारी संयत्र संभाग, बिलासपुर	
6	श्री स्वप्निल मंडल, सहायक अभियंता (वि./यां.) एन.यू.सी.–21, नर्मदा विहार, यदुवंदन नगर, तिफरा, बिलासपुर	कार्यालय कार्यपालन अभियंता वि./यां. लाईट मशीनरी नलकूप एवं गेट संभाग, रायपुर	
7	श्री कोमेन्द्र कुमार ध्रुव, सहायक अभियंता (वि./यां.) ग्रा.पो. बेलटुकरी तह. राजिम जिला गरियबांद (छ ग)	कार्यालय कार्यपालन अभियंता, वि./यां. भारी संयत्र संभाग, रूद्री	

क्रमश................

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पता	पदस्थापना स्थान	रिमार्क
01	02	03	04
8	श्री राजेश कुमार पैकरा, सहायक अभियंता (वि./यां.) ग्राम. मेंढ़ पो. डमरू तह. बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार	कार्यालय कार्यपालन अभियंता, वि./यां. भारी संयत्र संभाग, रूद्री	
9	श्री शैलेन्द्र कुमार ठाकुर, सहायक अभियंता (वि./यां.) ब्लाक न. 54 डी, II. डी. टाईप निर्मला सेक्टर दल्लीराजहरा तह. डौण्डी जिला बालोद(छग)	कार्यालय कार्यपालन अभियंता वि./यां. लाईट मशीनरी नलकूप एवं गेट संभाग, रायपुर	
10	श्री दिनेश कुमार सिंह, सहायक अभियंता (वि./यां.) म.नं. 02 ग्रा. तिलाईडांड़ पो. अजगरबहार (बाल्को नगर) तह. कोरबा जिला कोरबा (छ.ग.)	कार्यालय कार्यपालन अभियंता, वि./यां. लाईट मशीनरी नलकूप एवं गेट संभाग, सकरी/बिलासपुर	

2/ उपरोक्त नियुक्तियां निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

1) नियुक्ति अधिकारी को आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

2) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी) सेवा नियम-1988 के नियम-12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी। संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने या उक्त शर्तो के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

3) चयनित उम्मीदवार को पदस्थापना स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4) छत्तीसगढ़ जल संसाधन अभियांत्रिकी तथा भौमिकी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2014 के नियम-13(1) के अनुसार यह नियुक्तियां 02 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी तथा नियम-13(2) के अनुसार यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि, अधिकतम 01 वर्ष तक की अवधि के लिये बढ़ायी जा सकेगी। नियम-13(3) के अनुसार परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा की कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु उपयुक्त नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी।

5) नियुक्ति किये गये अभियंताओं का सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 1-1/2016/1-3 दिनांक 21.03.2017 में निहित प्रावधानुसार परीवीक्षा अवधि समाप्त करने के उपरांत वरिष्ठता का निर्धारण किया जावेगा।

क्रमश.............

6) चयनित उम्मीदवार को अपना स्वस्थता (मेडिकल) प्रमाण पत्र मेडिकल बोर्ड से देना अनिवार्य होगा।

7) यह नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाये जाने की प्रत्याशा में अंडरटेकिंग स्वरूप शपथ पत्र लेकर की जा रही है, अतः जिन उम्मीदवार के पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में विपरीत टिप्पणी होगी, उनकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी।

8) आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी सेवायें समाप्त कर दी जावेगी।

9) कार्यालय प्रमुख द्वारा चयनित उम्मीदवारों के अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव एवं अन्य प्रमाण पत्रों संबंधी मूल दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण/विधिवत सत्यापन किया जावें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(नीलकण्ठ टीकाम)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग

पृष्ठांकन क्र. एफ 01–25/31/स्था./2009, **नया रायपुर, दिनांक 06.04.2017**

प्रतिलिपिः–

1. मान0 मंत्रीजी के विशेष सहायक, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
2. मान0 संसदीय सचिव के निज सहायक, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
3. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर।
4. निज सचिव, सचिव, छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर।
6. संचालक, जनसम्पर्क विभाग, इन्द्रावती भवन नया रायपुर।
7. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर।
8. संबंधित मुख्य अभियंता, ...
9. संबंधित अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मंडल,..................
10. संबंधित कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग,..................
11. संबंधित कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, ...
12. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह–मुख्य अस्पताल अधीक्षक, ...
13. संबंधित अधिकारीगण द्वारा–प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर।
14. आदेश फोल्डर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

6/4/17

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग